परियोजना का टी0टी0जेड0 क्षेत्र में होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मथुरा में "वृन्दावन छटीकरा राधाकुण्ड मार्ग (अ0जि0मा0) (चैनेज 6.000 से 20.100 कि.मी. व चैनेज 21.000 से 21.400 कि.मी.) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई 14.500 कि.मी.)" क्षेत्र टी0टी0जेड0 क्षेत्र की परिधि के अन्तर्गत आता है। प्रश्नगत चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य में कोई भी वृक्ष प्रभावित न होने के कारण मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट पिटीशन (सि0) संख्या–13381/1984 से सम्बद्ध विभिन्न आई0ए0 में पारित निर्णय के क्रम में वृक्ष प्रभावित न होने के कारण अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

Omishra

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
मथुरा
2/23/11/2021

संलग्नक – 30/2

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक– द्वितीय/यू0पी0/1149/आर0ओ0सी0/2012/एफ0सी0, दिनॉक–13–01–2012 में उल्लिखित बिन्दु सं0–02 व 03 से सम्बन्धित सूचना।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग** द्वारा "वृन्दावन छटीकरा राधाकुण्ड मार्ग (अ0जि0मा0) (चैनेज 6.000 से 20.100 कि.मी. व चैनेज 21.000 से 21.400 कि.मी.) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई 14.500 कि.मी.)" जिला–मथुरा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य से प्रभावित 3.1746 हैक्टे0 संरक्षित वन भूमि (परियोजना के प्रथम बिन्दु चैनेज 6.00 से चैनेज 6.200, चैनेज 7.050 से चैनेज 13.203, चैनेज 18.000 से 18.400 तक 3.1746 हैक्टे0 संरक्षित वन भूमि) में प्रस्तावित मार्ग निर्माण में कोई वृक्ष बाधक नहीं है।

आर० एन० मिश्रा
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
मथुरा